''एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) योजना'

समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू), एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0–6 (मध्यम औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार (एल0पी0एस0) में छूट हेतु ''एकमुश्त समाधान योजना'' दिनांक 8.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक तीन चरणों/अवधि में लागू की जा रही है

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्ब भुगतान अधिभार (एल0पी0एस0) छूट का श्रेणीवार–अवधिवार विवरण				
उपभोक्ता श्रेणी	विकल्प	विलम्ब भुगतान अधिभार की छूट		
		दि0 8.11.23–30.11.23 तक पंजीकरण कराने पर	दि0 1.12.23–15.12.23 तक पंजीकरण कराने पर	दि0 16.12.23–31.12.23 तक पंजीकरण कराने पर
घरेलू–एल0एम0वी0–1 (1 किलोवाट भार तक)	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 100%	पूर्ण भुगतान पर 100%	पूर्ण भुगतान पर 80%
	किश्त विकल्प	12 किश्तों के साथ 90%	12 किश्तों के साथ 90%	12 किश्तों के साथ 70%
घरेलू–एल0एम0वी0–1 (1 किलोवाट से अधिक)	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 90%	पूर्ण भुगतान पर 80%	पूर्ण भुगतान पर 70%
	किश्तें (विकल्प 1)	3 किश्तों के साथ 80%	3 किश्तों के साथ 70%	3 किश्तों के साथ 60%
	किश्तें (विकल्प 2)	6 किश्तों के साथ 70%	6 किश्तों के साथ 60%	6 किश्तों के साथ 50%
वाणिज्यक–एल0एम0वी0–2 (3 किलोवाट भार तक)	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 80%	पूर्ण भुगतान पर 70%	पूर्ण भुगतान पर 60%
	किश्त विकल्प	3 किश्तों के साथ 70%	3 किश्तों के साथ 60%	3 किश्तों के साथ 50%
वाणिज्यक–एल0एम0वी0–2 (3 किलोवाट से अधिक)	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 60%	पूर्ण भुगतान पर 50%	पूर्ण भुगतान पर 40%
	किश्त विकल्प	3 किश्तों के साथ 50%	3 किश्तों के साथ 40%	3 किश्तों के साथ 30%
निजी संस्थान–एल0एम0वी0–4 बी	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 50%	पूर्ण भुगतान पर 40%	पूर्ण भुगतान पर 30%
	किश्त विकल्प	3 किश्तों के साथ 40%	3 किश्तों के साथ 30%	3 किश्तों के साथ 20%
निजी नलकूप–एल0एम0वी0–5	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 100%	पूर्ण भुगतान पर 100%	पूर्ण भुगतान पर 80%
	किश्त विकल्प	12 किश्तों के साथ 90%	12 किश्तों के साथ 90%	12 किश्तों के साथ 70%
मध्यम औद्योगिक–एल0एम0वी0–6	एकमुश्त भुगतान	पूर्ण भुगतान पर 50%	पूर्ण भुगतान पर 40%	पूर्ण भुगतान पर 30%
	किश्त विकल्प	3 किश्तों के साथ 40%	3 किश्तों के साथ 30%	3 किश्तों के साथ 20%

<u>योजना की अवधि</u>

I. यह योजना दिनांक 8.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक तीन चरणों/अवधि में लागू रहेगी। जिसका विवरण निम्नवत् हैः

प्रथम अवधि	द्वितीय अवधि	तृतीय अवधि
08.11.2023 से दिनांक 30.11.2023 तक	01.12.2023 से दिनांक 15.12.2023 तक	16.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक

II. निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31.03.2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी। अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31.10.2023 तक के बकाये पर की जायेगी।

III. योजना का लाभ लेने के लिये मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा।

IV. योजना का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31.03.2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को दिनांक 31.10.2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा जिसके उपरान्त ही वह छूट के लिये ही अर्ह होंगे।

योजना में पंजीकरण

V. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट पर OTS 2023 लिंक पर जा कर स्वयं कर सकेंगे अथवा किसी भी विभागीय कार्यालय (खण्ड/उपखण्ड/उपकेन्द्र) से करा सकेंगे। बिल पर लिखा खाता संख्या डालने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाइन दिखेगी।

VI. पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने ''शेष बकाये एवं छूट के पश्चात् शेष अधिभार राशि'' को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

VII. प्रथम 23 दिवसों में पंजीकरण राशि (30 प्रतिशत) जमा करने वाले उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तथा विलम्ब से द्वितीय अथवा तृतीय अवधि में पंजीकरण राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलेगा।

योजना में भुगतान सम्बधी दिशा–निर्देश

I. पंजीकरण राशि, बकाया के एकमुश्त भुगतान अथवा किश्तों का भुगतान विभाग द्वारा उपलब्ध सभी भुगतान विकल्प यथा वेबसाईट, यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान तथा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर से किया जा सकेगा।

II. बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान देयों के साथ बकाया राशि एवं शेष अधिभार राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन अथवा योजना की अन्तिम तिथि तक का समय दिया जायेगा। योजना अवधि में भुगतान पूर्ण ना करने वाले को इस योजना के लाभ से वंचित करते हुए ब्याज की राशि उसके खाते में पुनः जोड़ दी जाएगी।

III. किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्त प्रतिमाह अपने बिजली बिल के साथ जमा करनी होगी। जो उपभोक्ता निर्धारित किश्त दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार जमा नहीं करता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित करते हुए ब्याज की राशि उसके खाते में पुनः जोड़ दी जाएगी।

- 12 महीने की किश्तों मे लगातार दो माह के डिफाल्ट अथवा 12 माह में तीन से अधिक बार डिफाल्ट करने वाले उपभोक्ता स्कीम के लाभ से वंचित कर दिये जायेंगे।
- 6 महीने की किश्तों में एक से अधिक बार डिफाल्ट करने वाले उपभोक्ता स्कीम के लाभ से वंचित कर दिये जायेंगे।
- 3 महीने की किश्तों में प्रतिमाह भुगतान में डिफाल्ट की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

IV. योजना में पंजीकरण कराने के उपरान्त भुगतान नियमानुसार पूर्ण ना करने वाले उपभोक्ता भविष्य में आने वाली छूट की योजनाओं में लाभ पाने के लिये अर्ह नही होंगे।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में दर्ज व्यक्तियों को जुर्मानें में छूट की योजना

योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र पंजीकरण करा कर निम्नानुसार दी गयी निधार्रण राशि जमा कराने पर आप प्रकरण को निस्तारित कर सकते है –

दि0 8.11.23–30.11.23 तक पंजीकरण कराने पर	दि0 1.12.23–15.12.23 तक पंजीकरण कराने पर	दि0 16.12.23–31.12.23 तक पंजीकरण कराने पर
निर्धारण राशि का 35 % एकमुश्त या 3 किश्तों के साथ निर्धारण राशि का 40 %	निर्धारण राशि का 40 % एकमुश्त या 3 किश्तों के साथ निर्धारण राशि का 45 %	निर्धारण राशि का 50 % एकमुश्त या 3 किश्तों के साथ निर्धारण राशि का 55 %

I. उपरोक्त में से 10 प्रतिशत तत्काल पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराते हुए शेष के को 30 दिनों मे एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करना होगा।

II. विद्युत चोरी में निर्धारित व्यक्ति अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट पर OTS 2023 (RAID) लिंक के माध्यम से स्वयं कर सकेगा अथवा किसी भी विभागीय कार्यालय (खण्ड/उपखण्ड) से करा सकेगा। अपनी रेड आई0डी0/खाता सं0 डालने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाइन दिखेगी।

III. पंजीकरण के रूप में व्यक्ति को अपने निर्धारण का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप देनी होगी। तथा पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

IV. प्रथम 23 दिवसों में पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तथा विलम्ब से द्वितीय अथवा तृतीय अवधि में पंजीकरण राशि जमा करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलेगा।

V. पंजीकरण राशि तथा शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) का भुगतान विभागीय वेबसाईट से रेड पोर्टल पर किया जा सकता है। अथवा भुगतान किसी भी विभागीय कैश काउन्टर से किया जा सकेगा जिसको खण्ड/उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

VI. योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिये विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। जिसका आवेदन विभगीय वेबसाईट से ऑनलाईन करना होगा।

VII. यदि कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति एवं डिस्काम द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

VIII. किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गये मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दोबारा नहीं खोला जाएगा।

IX. यह एक बार की योजना है, योजना बंद होने के बाद बिजली चोरी के मामलों में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी।

X. उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नही रहेगी।

<u>योजना की सामान्य शर्तें</u>

I. उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org पर {उपभोक्ता कार्नर >सेवा अनुरोध >बिल सुधार अनुरोध} में जाकर स्वयं को रेजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है

II. कतिपय उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप) से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।

III. इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी0डी0 फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

IV. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे।

V. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। इससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे। उपभोक्ता किसी भी स्थिति में भुगतान की मैन्युअल रसीद प्राप्त ना कर।

VI. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन एवं पंजीकरण तथा भुगतान के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।